1

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

संभाग सागर (म0प्र0)

शालकराम यादव (फौत) वारसान निगरानी-3320/2018/सागर/भू.रा.

1. श्रीमति आशा पत्नि स्व0 शालकराम यादव
2. मीना पुत्री स्व0 शालकराम यादव
3. मनोज तनय स्व0 शालकराम यादव
4. केशव मनय स्व0 शालकराम यादव
5. सतीश तनय स्व0 शालकराम यादव
6. कपिल उर्फ छोटू तनय स्व0 शालक राम यादव
7. कु0 सीमा पुत्री स्व0 शालक राम यादव

सभी निवासी ग्राम बेरखेरी सुवंश सागर
हाल निवासी इतवारी वार्ड तह. जिला सागर म0प्र0

..........आवेदकगण

//विरूद्ध//

रामेन्द्र सिंह तनय कुंदन सिंह
सा0 ग्राम बेरखेरी खुर्द तह. व जिला सागर

.........अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 निगरानी म0प्र0भू0रा0सं0

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

आवेदकगण अपर आयुक्त महोदय सागर के प्रकरण क्र. 368अ-6 वर्ष 15-16 में पारित आदेश दिनांक 03.04.2018 से परिवेदन होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

B.O.R.
24 APR 2018

②

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3320/2018/सागर/भू.रा. शालकराम विरूद्ध रामेन्द्र सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-06-2018	आवेदक की ओर से श्री अनिल चौबे, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि ग्राम बेरखेरी खुर्द में शासकीय भूमि खसरा नं 52 रकबा हे. में से 0.81 हे. पर आवेदक का बेजा कब्जा है । उक्त भूमि से आवेदक का कब्जा हटाये जाने के निर्देश के साथ अपर कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया है वह वैधानिक व न्यायोचित है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।	
शेख	सदस्य 26.6.18	